न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00457

1. सूरजमल आयु. 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ओम प्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. देवी पत्नी राम निवास जाति गुर्जर निवासी मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मूर्ति बाई उम्र 40 वर्ष पत्नी उरजन जाति गुर्जर निवासी मोडसा तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नैनगा पुत्री श्री औंकार जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर विगत 60 वर्षो से वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर वादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं वादी संख्या 3 व 4 के ससुर जगन्नाथ पुत्र गेन्दिया का कब्जा काश्त रहा था उनके देहावसान के

बाद वादीगण उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी संख्या 03 देव बाई के पिता रामनिवास का 17 वर्ष एवं वादी संख्या 04 मूर्ति बाई के पति उरजन का देहावसान 03 वर्ष पूर्व हो चुका है । उक्त भूमि को 60 वर्ष पूर्व वादीगण के पूर्वज जगन्नाथ जी ने नोतोड से आबाद कर भूमिं को काबिल काश्त बनाकर भूमि पर काश्त करना प्रारम्भ किया था । वादीगण ने उक्त भूमि पर अब तक करीब 03 लाख रूपये खर्च कर दिया हैं । प्रतिवादी नेनगा नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम मोडसा में निवासी नहीं करता है न ही आज तक रहा है । राजस्व कर्मचारियों ने बन्दोबस्त के दौरान वादीगण के पूर्वज जगन्नाथ जी से द्वेषता रखते हुए वादीगण के हक अधिकार, आधिपत्य की भूमि पर अनाधिकृत रूप से नेनगा आत्मज औंकार के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया उक्त इन्द्राज पूर्णतया अवैध होने से प्रभावशून्य है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में नेनगा आत्मज औंकार गुर्जर का नाम विलोपित कर वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपना पक्ष पूर्ण रूप से साबित कर दियां था जिसका किसी भी प्रकार से कोई खण्डन प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट नेनगा नाम का कोई भी व्यक्ति गॉव में नहीं है और न ही कभी रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था और यह कथन किया गया था कि ग्राम मोडसा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर 60 वर्षों से निरन्तर कब्जा वादी एवं उनके पूर्वजों का रहा है । वादीगण ने इस भूमि का उपजाऊ बनाया है वादीगण उक्त भूमि से प्राप्त आय से ही अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं आजीविका का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है । नेनगा नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम मोडसा में निवास नहीं करता है और न ही आज तक रहा है उक्त नाम का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है । गलत रूप से उनका

अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया गया है यह इन्द्राज अवैध Void- abinitio है । वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हो चुके हैं । अतः दावा वादी डिक्री किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया है । वादी के द्वारा अपने दावे में यह कथन नहीं किया गया था कि नेनगा लापता है बल्कि यह कथन किया गया था कि नेनगा नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है । वादी ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य पेश की थी जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी की तरफ से नहीं किया गया था फिर भी दावा खारिज किया गाय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था और इस दावे के साथ वादी के द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श– पी–1 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार नेनगा आत्मज औकार दर्ज है । इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसील प्रदर्श –पी–2 के रूप में पेश की गई है । नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– पी– 3 एवं पी–4 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है और नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श–पी–5, रसीद लागन प्रदर्श–पी– 6 से पी–8 पेश की गई हैं ।

9. वादी की ओर बयान सूरंजमल पीडब्ल्यू–1, कल्याण पीडब्ल्यू–2, हीरालाल पीडब्ल्यू–3, शोराज पीडब्ल्यू– 4 कराये गये हैं ।

10. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी नेनगा के खाते में दर्ज है और नेनगा नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है और वादग्रस्त आराजी पर लम्बे समय से कब्जे के आधार पर, प्रतिकूल कब्जे का कथन करते हुए हक घोषणा की प्रार्थना की है परन्तु माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.12.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00457

1. सूरजमल आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ओम प्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. देवी पत्नी राम निवास जाति गुर्जर निवासी मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मूर्ति बाई उम्र 40 वर्ष पत्नी उरजन जाति गुर्जर निवासी मोडसा तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नैनगा पुत्री श्री औंकार जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 12/दावा/2014

1. सूरजमल आयु 45 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ओम प्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा ज़िला बून्दी ।
3. देवी पत्नी राम निवास जाति गुर्जर निवासी मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मूर्ति बाई उम्र 40 वर्ष पत्नी उरजन जाति गुर्जर निवासी मोडसा तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. नैनगा पुत्री श्री औंकार जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोडसा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है '। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.12.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश प्रजापति एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

15/12/2020

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा